वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 218/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-18.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 19.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- निजामाबादः साइबर फ्राड के 14,300 रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक- 03.09.24 को आवेदक चन्द्रभान प्रजापति पुत्र घनश्याम प्रजापति निवासी नसीरपुर खालसा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा बिहार में स्थित रोजगार प्वाइन्ट से सामान खरीदने हेतु कुल 14,300 रूपये का आनलाइन पेमेंट एडवांस में किया गया था। परन्तु काफी प्रयास के बाद जब आवेदक को सामान डिलवर नही हुआ और आवेदक का मो0नं0 ब्लैक लिस्ट में लगा दिया गया तो आवेदक द्वारा दिनांक 03.06.25 को साईबर हेल्प लाइन नं0 1930 के माध्यम से शिकायत सं0 23106250081579 पंजीकृत करवाया गया था। जिसके बाद NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्राड के सभी पैसै फ्राडस्टर के 02 बैंक एकाउन्ट में होल्ड करावा दिया गया।

➡ उक्त शिकायत पर थानाध्यक्ष निजामाबाद हीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए योगेन्द्र यादव द्वारा आवेदक के खाते में साइबर फ्राड के 14,300 रूपये वापस कराया गया। जिसपर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रगट किया गया।

साइबर टीम निजामाबाद -

1. उ0नि0 उमेश सिंह, क0ऑ0 योगेन्द्र यादव, का0 सुधाकर सिंह, म0का0 रेनू देवी थाना निजामाबाद आजमगढ़।

02. थाना गम्भीरपुरः अपहरण के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.06.2025 को वादी थाना रानी की सरायं जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना दिया कि विपक्षी आशीष कुमार पुत्र अविनाश उर्फ रुदल ग्राम मंझगावां थाना रानी की सरायं जिला आजमगढ़ अपने माता पिता के सहयोग से वादी नाबालिक लड़की उम्र लगभग 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस बनाम 1. आशीष कुमार पुत्र अविनाश उर्फ रुदल 2.अभिनास उर्फ रुदल पुत्र श्रीपत 3. लालमति पत्नी अभिनाष उर्फ रुदल निवासीगण मझगावां थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.06.2025 को उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी मय हमराह का0 विनोद यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र अविनाश उर्फ रुदल निवासी ग्राम मझगाँवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मुखबिरी सूचना पर समय करीब 08.50 बजे दयालपुर मोड़ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-आशीष कुमार पुत्र अविनाश उर्फ रुदल निवासी ग्राम मझगाँवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 167/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी, कां0 विनोद कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

03. थाना बिलरियागंजः शादी का झांसा देकर आपत्तिजनक वीडियों बनाकर ब्लैक मेल करने वाला 15 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.24 को आवेदक थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी आकिब पुत्र अबुल जैस सा0 अण्डाखोर मड़ैया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को शादी करने का झांसा देकर 6 माह पूर्व अपने साथ भगा ले गया 3-4 दिन तक अपने साथ रखा तथा उसके साथ वह शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा वीडियो भी वना लिया है और अपने मोबाईल नम्बर से भिन्न भिन्न नम्बरो पर वायरल कर दिया है वादी की लड़की की शादी जहाँ तय कर रहे है मोवाइल के माध्यम से रिस्ता तुड़वा दे रहा है। मोबाइल के जरिये गाली गुप्ता व जान से मारने कि धमकी दे रहा है। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 295/24 धारा 363/366/376/504/506/419/420/468/467/471 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 बी आईटी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त आकिब उपरोक्त लगातार फरार चल रहा है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 15,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक- 19.06.2025 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकिब पुत्र अबुल जैस सा0 अण्डाखोर मड़ैया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को श्रीनगर सियरहा अण्डर के पास से समय करीब 8.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 295/24 धारा 363/366/376/504/506/419/420/468/467/471 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 बी आईटी एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 15/21 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- आकिब पुत्र अबुल जैस सा0 अण्डाखोर मड़ैया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

इनाम घोषित का विवरण - श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ के पत्र संख्या –डीसीआरबी-पुरस्कार – घोषित - 76/2024 दिनांक दिसम्बर 21,2024 के द्वारा 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- सुनील कुमार दूबे थानाध्यक्ष व उ0नि0 लवकुश कुमार बिलरियागंज आजमगढ़
2- उ0नि0 संजय कुमार सिंह, का0 मुकेश यादव स्वाट टीम जनपद आजमगढ़।
3- उ0नि0 अतुल मिश्रा सर्विलांस सेल आजमगढ़
4- क0आ0 चन्द्रमा मिश्रा व ओ0पी0 दिनेश यादव सर्विलांस सेल जनपद आजमगढ़।

04.थाना- जीयनपुरः हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2025 को आवेदिका आशा देवी पत्नी जनार्दन राम निवासी ग्राम बहावनपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ उपस्थित थाना जीयनपुर आकर प्रार्थना पत्र दी की मेरे पति जनार्दन राम विपक्षी रामसमुझ यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी कुदारन तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के घर पर ट्यूबेल का बोरिंग किये थे और 15 हजार रूपया में काम तय था, जब मेरे पति पैसा मांगने गये तो विपक्षी विशाल यादव पुत्र कमलेश यादव व रामसमुझ यादव पुत्र रामबदन यादव व महेन्द्र यादव पुत्र रामसमुझ यादव यह सभी लोग मिलकर मेरे पति को लात घुसे लाठी डण्डा व फावडा से विशाल यादव ने सिर पर मारे जिससे मेरे पति को सिर पर गंम्भीर (काफी चोटे) आई है ये सभी बहुत ही मनबढ किस्म के व्यक्ति है और बोरिंग का सारा सामान इनके घर पर है के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 219/2025 धारा 115(2)/109 BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(5)SC/ST ACT बनाम 1.विशाल यादव पुत्र कमलेश यादव 2.रामसमुझ यादव पुत्र रामबदन यादव 3.महेन्द्र यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासीगण कुदारन तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सगड़ी द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 19.06.2025 को उ0नि0 हरिश कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.रामसमुझ यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी कुदारन तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. महेन्द्र यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी कुदारन तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 07.05 बजे मालटारी बाजार मे रामअवध की पान की दुकान थाना जीयनपुर आजमगढ़ से हिरासत पुलिस में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः

1.रामसमुझ यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी कुदारन तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष

2. महेन्द्र यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी कुदारन तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-219/2025 धारा 115(2)/109 BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(5)SC/ST ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 हरिश कुमार शुक्ला मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

05. थाना तरवा: मारपीट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा कलिंदर पुत्र जगरदेव निवासी उचहुवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15/03/2025 रात्रि मे वादी अपने घर पर खाना पीना खाकर सो रहे थे , तभी कोदोपुर गांव के रामाश्रय यादव पुत्र सुन्नर , विपिन (साजू) पुत्र उदयभान , विनोद पुत्र सत्यनारायण, संजीव पुत्र रामाश्रय , अनिरूद्ध पुत्र रामाश्रय प्रार्थी के घर आकर पुरानी जमीनी विवाद को लेकर लात घुसो व लाठी- डंडे से मारकर घायल कर दिए तथा प्रार्थी व उसके परिवार की झोपड़ी (मड़ई) में आग लगा दिये , जिससे मड़ई व मड़ई मे रखा सामान जल गया और धमकी दिये कि थाने पर गये तो जान से मार देंगे, व जाते जाते जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली देते चले गये जिस पर वादी मुकदमा द्वारा दिनांक-16.03.2025 को दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 55/2025 धारा 3(5),115(2)/352/351(3),326(छ) बी0एन0एस0व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)5क , 3(2)(iv) SC/ST ACT बनाम 1. रामाश्रय यादव पुत्र सुन्नर 2 विपिन उर्फ साजू पुत्र उदयभान 3. विनोद पुत्र सत्यनारायण4. सजीव पुत्र रामाश्रय 5. अनिरूद्ध पुत्र रामाश्रय निवासीगण कोदोपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक- 19.06.2025 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद कुमार यादव पुत्र सत्यनरायन यादव निवासी ग्राम उचहुंआ कोदोपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 31वर्ष को उसके घर कोदोपुर उचहुआ से समय करीब 09.50बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 55/2025 धारा 3(5),115(2)/352/351(3),326(छ) बी0एन0एस0व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)5क , 3(2)(iv) SC/ST ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास.......

1.मु0अ0सं0-298/2024 धारा-131,352,351(2) बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0-0058/2025 धारा-115(2), 324(4),351(3),352 बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विनोद कुमार यादव पुत्र सत्यनरायन यादव निवासी ग्राम उचहुंआ कोदोपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 31वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. का0 हर्षित थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. का0 संदीप सिंह पटेल थाना तरवां जनपद आजमगढ़

06.थाना- रानी की सराय: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनाँक 07.06.2025 को वादी मुकदमा थाना रानी की सराय आजमगढ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 05.06.2025 को समय लगभग 03.30 बजे सुबह विपक्षी विकाश कुमार द्वारा वादी की नाबालिक बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 162/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस0 बनाम विकास कुमार पुत्र फूलचन्द सा0 रूदरी थाना रानी की सराय आजमगढ पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64 बीएनएस0 व ¾ पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक-19.06.2025 को ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विकास कुमार पुत्र फूलचन्द सा0 रूदरी थाना रानी की सराय आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष को रूदरी मोढ कस्बा रानी की सराय से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 162/2025 धारा 87,137(2),64 बीएनएस व ¾ पास्को थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-विकास कुमार पुत्र फूलचन्द सा0 रूदरी थाना रानी की सराय आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2) का0 अमित कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3) का0 प्रमोद कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

07.थाना मेंहनगरः साइबर फ्राड के 18,000 रुपया वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.02.2024 को आवेदक श्री प्रदीप विश्वकर्मा पुत्र चन्द्रिका विश्वकर्मा निवासी वार्ड नं. 10 हरिवंशनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के साथ क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर 21,411.47 रुपये का फ्राड हो गया। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा NCRP पर शिकायत पंजीकृत करायी थी जिसका Ack No. 3310224002XXX है। जिसमें NCRP के माध्यम से 21,411.47 रू0 में से 18,000 रू0 फ्राडस्टर के खाते में फ्रीज हुआ था। दिनांक 17.06.2025 को आवेदक के खाते में फ्राड हुए कुल 18,000 रूपये वापस करा दिया गया है।

रुपया वापसी का विवरणः-

आवेदक प्रदीप विश्वकर्मा पुत्र चन्द्रिका विश्वकर्मा निवासी वार्ड नं. 10 हरिवंशनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के द्वारा NCRP पर शिकायत दर्ज किया गया। जिस पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित खाते को फ्रिज कराया गया। तत्पश्चात् प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर के निर्देश पर साइबर क्राइम टीम थाना मेंहनगर SIUT तुषार त्रिपाठी व क0आ0 श्याम चन्द्र यादव, का0 इलियास अली, म0का0 रेखा चौधरी द्वारा उपरोक्त फ्राड का पैसा वापस कराने हेतु आवेदक से सम्पर्क कर फ्रीज हुए 18,000 रुपये को Refund कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए फ्राड हुये आवेदक के 18,000 रु0 नियमानुसार आवेदक के खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा पैसा पाकर पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार
2. SIUT तुषार त्रिपाठी, क0आ0 श्याम चन्द्र यादव, का0 इलियास अली,म0का0 रेखा चौधरी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

08.थाना- पवईः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 16.06.25 को वादिनी थाना पवई आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13.06.25 को समय करीब 04.00 बजे सुबह वादिनी की लड़की उम्र 17 वर्ष को बालअपचारी द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 137(2)/87/64 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 17.06.25 को पीड़िता की बरामदगी की गयी एवं साक्ष्य के आधार पर धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। दौराने विवेचना अभियुक्त की उम्र करीब 17 वर्ष पायी गयी जो बालअपचारी की श्रेणी मे आता है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

आज दिनांक 19.06.25 को उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को खैरुद्दीनपुर गांव के मोड़ के पास से समय 08.20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया बाल अपचारी का चालान मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड किया जा रहा है।